नं0 816-4 जी0 एस0II/-71/12899

प्रषेक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

सेवा में

1. सभी विभागाध्यक्ष, आयुक्त अम्बाला मण्डल, सभी उपायुक्त तथा उप-मण्डल अधिकारी हरियाणा।
2. रजिस्ट्रार पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय और सभी जिला तथा सत्र न्यायाधीश, हरियाणा।

दिनांक चण्डीगढ 26 मई, 1971

विषय :—सिविल कर्मचारियों तथा अन्य व्यक्तियों के लिये रियायतें जो सैनिक सेवा में आपातकाल के समय भर्ती हुए थे।

महोदय,

मुझे निदेश हुआ है कि उपरोक्त विषय का हवाला दूं और कहूं कि यह प्रश्न पैदा हुआ है कि क्या जो रियायतें पंजाब सरकार राष्ट्रीय आपातिकाल (रियायतें) नियम 1965 में दी गई हैं, वे उन्हीं भूतपूर्व सैनिकों के बारे में लागू होती हैं जो आरक्षित (रिजर्वड) रिक्तियों पर नियुक्त हुए हैं या उन पर भी लागू होती हैं जो आरक्षित (नान रिजर्वड) रिक्तियों के प्रति नियुक्त हुए हैं। इन मुआमलों पर विचार करके यह निर्णय किया गया है कि जो भूतपूर्व सैनिक आरक्षित (नान रिजर्वड) रिक्तियों के प्रति नियुक्त हुए हैं उन्हें भी उपरोक्त नियमों में अंकित रियायतें मिलनी चाहिएं।

2. इन अनुदेशों की ध्यान पूर्वक अनुपालन करें तथा इस पत्र की पावती भेजें।

भवदीय,

हस्ता/—
उप सचिव प्रशासन सुधार
कृतेः मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार

पृष्ठ 816-4 जी0 एस0-II दिनांक चण्डीगढ़ 26 मई, 1971

एक प्रति महालेखापाल हरियाणा, वित्तायुक्त राजस्व हरियाणा और सभी प्रशासकीय सचिव हरियाणा सरकार को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है।